भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं 1106
(दिनांक 16.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग

1106. श्री राजीव प्रताप रूडी:
श्री के॰ सी॰ त्यागी:
श्रीमती रजनी पाटिल:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत पानी को निकालने और स्वच्छ बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना/योजना–वार ब्यौरा क्या है;
(ग) 2013–14 के दौरान सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पाइप से जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) के अंतर्गत शामिल किए जा रहे घरों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अन्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस योजना का विस्तार करने का विचार रखती है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री भरतसिंह सोलंकी)

(क) जी हाँ।

(ख) से (ड.) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय 9 राज्यों को सहायता दे रहा है ताकि इन राज्यों के 82 आईएपी जिलों में नवीनीकरण योग्य सौर ऊर्जा का उपयोग करके जल को निकालने एवं शोधन करने के लिए दोहरे पम्प की सहायता से पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजना पर आधारित सौर ऊर्जा को कार्यान्वित किया जा सके। इस परियोजना का इन आईएपी जिलों में 10,000 ग्रामीण बसावटों में दोहरे पम्प की सहायता से पाइप द्वारा जल आपूर्ति इकाइयों पर आधारित सौर ऊर्जा लगाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की कुल लागत 553.26 करोड़ रू. है। परियोजना लागत में से राष्ट्रीय स्वच्छता ऊर्जा निधि घटक की लागत 221.30 करोड़ रू. है (परियोजना लागत का 40 प्रतिशत)। शेष 331.96 करोड़ रू. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा मिलकर (केन्द्र और राज्य सरकारों का प्रत्येक का 30 प्रतिशत) दिए जाने हैं।

इस योजना के लिए चुने गए राज्यों में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं उत्तरप्रदेश शामिल हैं। वर्ष 2013–14 के लिए दोहरे पम्प पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजना पर आधारित सौर ऊर्जा के अंतर्गत कवर की जाने वाली लक्षित बसावटों का ब्यौरा राज्य–वार नीचे दिया गया है। इस योजना को 18 महीनों में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

क्र. सं.	राज्य	लक्षित बसावटें
1	आंध्र प्रदेश	153
2	बिहार	281
3	छत्तीसगढ	960
4	झारखण्ड	1072
5	मध्य प्रदेश	669
6	महाराष्ट्र	38
7	उड़ीसा	1762
8	उत्तर प्रदेश	96
9	पश्चिम बंगाल	393
योग		**5424**